

## 72% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना

[स्रोत : द हट्टि](#)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 72% आयकर (आईटी) करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना।

- वर्ष 2024-25 के लिये दाखल किये गए 7.28 करोड़ आईटी रटिर्न में से 5.27 करोड़ नई व्यवस्था के तहत थे।
- आयकर रटिर्न दाखल करने में वृद्धि: आकलन वर्ष 2024-25 में दाखल किये गए रटिर्न में 7.5% की वृद्धि देखी गई, जिसमें पहली बार फाइल करने वालों से लगभग 58.6 लाख रटिर्न आए, जो कर आधार के वसतिार का संकेत है।

### कर संरचना में परिवर्तन:

- नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाया गया, जिसमें कर स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिये गए।
- कर-मुक्त आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई।
- नई व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई।
- मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई।
- भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष 2023-24 में 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जिसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि है, जो अब कुल कर राजस्व का 53.3% है, जो वर्ष 2022-23 में 50.06% था।
- प्रत्यक्ष कर वे कर हैं, जो एक व्यक्ति सीधे सरकार को देता है, जैसे आयकर, मतदान कर, भूमि कर, नगिम कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर।

//

## INCOME TAX SLABS

### New tax regime

**FY24**

Rs 0-3 lakh

Nil

Rs 3-6 lakh

5%

Rs 6-9 lakh

10%

Rs 9-12 lakh

15%

Rs 12-15 lakh

20%

Rs 15 lakh+

30%

**Those earning up to Rs 7 lakh  
are entitled to a rebate**

### Old tax regime

**FY24**

Rs 0-2.5 lakh

Nil

Rs 2.5-5 lakh

5%

Rs 5-10 lakh

20%

Rs 10 lakh+

30%

**Those earning up to Rs 5 lakh  
are entitled to a rebate**



और पढ़ें: [व्यक्तिगत आयकर और अप्रत्यक्ष कर का बढ़ता हिसा](#)